

आवेदन-पत्र
अनुदान पर उन्नत नस्ल का बकरा प्रदाय योजना का आवेदन-पत्र
वर्ष 2020 -21

पासपोर्ट फोटो

- 1- आवेदक का नाम:- -----
2- पिता/पति का नाम:- -----
3- जाति.(प्रमाण-पत्र संलग्न करें):- -----
4- निवासी:- -----
5- आवेदक के पास उपलब्ध बकरीयों की संख्या:- -----
6- आवेदक की वार्षिक आय :- -----
कृपया मुझे योजनांतर्गत लाभांशित करने की कृपा करें।

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
मोबाइल नं. -----

गवाह के हस्ताक्षर

- 1- नाम -----
निवासी -----

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ----- पिता/पति -----
मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम ----- ग्राम पंचायत ----- विकासखण्ड.
----- जिला खरगोन का निवासी होकर इनकी जाति ----- है।

सरपंच
ग्राम पंचायत -----
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन का परीक्षण कर लिया गया उनके द्वारा
दी गई जानकारी सही है। अनुदान पर उन्नत नस्ल का बकरा प्रदाय योजना हेतु पात्र है।
जिसे योजना मेरी शामिल किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी/आवेदक का बैंक का नाम:- -----
संयुक्त खाता क्रमांक:- -----
आई.एफ.एस. सी. कोड :- -----

प्रमाणिकरण

अधिकारी
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी

पशु पालन विस्तार अधिकारी/
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

अनुदान पर उन्नत नस्ल का बकरा प्रदाय योजना का अनुबंध-पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी ----- पिता/पति -----
निवासी ----- विकासखण्ड ----- जो कि प्रगतिशील बकरी पालक हुँ आज
दिनांक ----- को उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये खरगोन के साथ अनुबंध करता
हुँ/करती हुँ।

- 1- योजनान्तर्गत प्रदाय नर बकरा का उपयोग प्रजनन हेतु करुंगा/करुंगी ।
- 2- नर बकरे के प्रजनन अभिलेख का संधारण पंजी मे करुंगा/करुंगी व समय-समय पर
विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को पंजी का निरीक्षण कराउंगा/कराउंगी ।
- 3- योजना मे किये गये प्रावधानुसार नर बकरे के मुल्य, परिवहन, बीमा, व औषधि व्यय,
मे होने वाले पुर्ण व्यय की राशि का 20: बैंक में जमा करुंगा/करुंगी ।
- 4- प्रदायित नर बकरे एवं बकरीयो को सभी आवश्यक यथा समय टीकाकरण
कराउंगा/कराउंगी ।
- 5- प्रदायित नर बकरे का यथा समय रोगोपचार, चिकित्सा रोग निदान हेतु आवश्यक रोग
जाँच कराउंगा/कराउंगी ।
- 6- प्रदायित नर बकरे का स्वास्थ्य रक्षा का पूर्ण ध्यान रखुंगा/रखुंगी ।
- 7- योजना से होने वाले लाभ से अन्य बकरी पालको को भी प्रेरित करुंगा/करुंगी ।
- 8- विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करुंगा/करुंगी ।
- 9- तकनीकी कारणो से विभागीय अधिकारियो द्वारा प्रजनन नीति का यथा समय पालन
करुंगा/करुंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी

उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवाये खरगोन